राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3028/2025

लोकेश **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, अलवर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.06.2025
आदेश की दिनांक : 25.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वनपाल के पद पर नाका गढ़ी सवाई रामसिंह, रेंज लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज किशनगढ़वास, उपवन सरंक्षक अलवर से रेंज लक्ष्मणगढ़, उपवन संरक्षक अलवर में किया गया। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी को दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक–3) को कार्यमुक्त कर दिया गया तथा अपीलार्थी ने दिनांक 21.01.2025 (अनुलग्नक–4) को रेंज कार्यालय, लक्ष्मणगढ़ में उपस्थित हुआ। जिसके पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.01.2025 (अनुलग्नक–5) को गढ़ी सवाई रामसिंह में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की। जिसके पश्चात् आदेश दिनांक 24.02.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी को गढ़ी सवाई रामसिंह से कार्यमुक्त करते हुए रेंज कार्यालय लक्ष्मणगढ़ में उपस्थिति देने हेतु निर्देश जारी किये। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने लक्ष्मणगढ़ में कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रतिबंध अवधि में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.03.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन गश्ती दल अलवर मुख्यालय मृगस्का रेंज कार्यालय अलवर में पदस्थापन करने हेतु निर्देश जारी किये। उनका आगे कथन है कि अपीलर्थी का

3 माह में 3 बार स्थानान्तरण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम सरकार में यह निर्धारित किया है कि अल्पावधि में किये गये स्थानान्तरण आदेश तथा 1 वर्ष में 2–3 बार स्थानान्तरण करने को फ्रिक्वेन्ट स्थानान्तरण माना जायेगा। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने राज्य में स्थानान्तरण करने के लिए दिनांक 15.01.2025 तक की छूट प्रदान की गई थी। दिनांक 16.01.2025 से स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रत्यर्थी संख्या 02 ने प्रशासनिक सुधार एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से बिना छूट प्राप्त किये प्रतिबंध अवधि में आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थ का पदस्थापन किया है। प्रत्यर्थी सख्या 2 को यह अधिकार नहीं है कि वह सक्षम कार्यालय व मुख्यमंत्री कार्यालय से बिना छूट प्राप्त किये पदस्थापन कर सके। उनका कथन है कि माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 3234/2024 रामनिवास बोचल्या बनाम राजस्व विभाग में दिनांक 29.10.2024 (अनुलग्नक–7) को तथा अपील संख्या 3119/2024 प्रीति मीणा बनाम राजस्व विभाग में दिनांक 16.10.2024 (अनुलग्नक–8) को समान तथ्यों पर स्थगन आदेश जारी किये है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर आदेश दिनांक जनवरी 2020 में की गई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 30.01.2025 को कार्यग्रहण किया था। तब से अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के अपने कार्य को सुचारू रूप से आज तक कर रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.03.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वनपाल के पद पर नाकागढ़ी सवाई रामसिंह, रेंज लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में ही पदस्थापित रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफ) राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज किशनगढ़बास से रेंज लक्ष्मणगढ़ पर किया गया था, किसी चौकी या नाका विशेष पर नहीं। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकारण के समक्ष जिन आदेशों को स्थानान्तरण की श्रेणी में डाला गया है वे आदेश क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा रेंज लक्ष्मणगढ़ के अधीन ही है। अपीलार्थी का वेतन लगातार रेंज लक्ष्मणगढ़ से आहरित होता रहा है। अपीलार्थी द्वारा उप वन संरक्षक, अलवर के आदेश दिनांक 29.03.2025 के आदेश को अवैध व अनुचित बतलाया गया है। इस संबंध में माननीय अधिकरण से निवेदन इस प्रकार है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश से वन एवं वन्यजीव संरक्षण के मद्देनजर गश्ती दल की टीम में नामित किया गया है जो कि स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं आता है इस दौरान भी इनका वेतन

लगातार रेंज लक्ष्मणगढ़ से ही आहरित हो होगा। अपीलार्थी वनपाल के पद पर पदस्थापित है, जिसकी जिम्मेदारी काफी अधिक होती है। वन एवं वन्यजीव सरंक्षण अवैध खनन को रोकना एवं प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक हैं। जिस आदेश को अवैध बतलाकर माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रहे हे, उस आदेश में वे गश्ती दल की टीम का हिस्सा है, जो अलवर वन मण्डल में नियमित गश्त करेगी। इस टीम में सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी–II, वनपाल सहायक वनपाल, वनरक्षक इत्यादि गश्ती दल की टीम में सम्मिलित है तथा अलग–अलग रेंजों से संबंधित भी है। जिन आदेशों को अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश बतलाकर अवैध बता रहे है वे आदेश स्थानान्तरण आदेश नहीं है, अपितु वे गश्ती दल की टीम के आदेश है जिसमें स्थानान्तरण नहीं हुआ है। नियोक्ता का विशेष अधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को सेवाएं प्रदान करना चाहता है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वनपाल के पद पर नाका गढ़ी सवाई रामसिंह, रेंज लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.03.2025 के द्वारा अपीलार्थी को मुख्यालय नर्सरी मृगस्का, रेंज कार्यालय अलवर में गश्ती दल टीम में लगाये जाने के आदेश पारित किये गये है। इस टीम में सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी–II, वनपाल सहायक वनपाल, वनरक्षक इत्यादि गश्ती दल की टीम में सम्मिलित है तथा अलग–अलग रेंजों से संबंधित भी है। जिन आदेशों को अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश बतलाकर अवैध बता रहे है वे आदेश स्थानान्तरण आदेश नहीं है, अपितु वे गश्ती दल की टीम के आदेश है जिसमें स्थानान्तरण नहीं हुआ है। नियोक्ता का विशेष अधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को सेवाएं प्रदान करना चाहता है। आलोच्य आदेश दिनांक 29.03.2025 में हम किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाते है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष